*भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री**

विरल वी. आचार्य

गवर्नर, उप-गवर्नर एस.एस.मूंदड़ा, एन.एस.विश्वनाथन और बी.पी. कानुन्गो, हमारे मुख्य अतिथि और सभी वक्तागण आप सभी को नमस्कार.

वार्षिक सांख्यिकी दिवस का परिचय

कल शाम को सम्मेलन से पहले हुए डिनर के समय श्री चेतन भगत की बातों से ही शुरुआत करें, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आज यहाँ आप सभी केवल 'उपस्थित' नहीं हैं बल्कि 'सोत्साह उपस्थित' हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के इस वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए आपको धन्यवाद। इस सभागार की क्षमता सीमित है और हमारे बहुत से युवा सहकर्मी इसी भवन में तीन अन्य स्थानों पर बैठे हुए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये इस सम्मेलन में शरीक हो रहे हैं।

2. रिज़र्व बैंक का यह सम्मेलन इस श्रृंखला में दसवां है, लेकिन मेरे लिए यह प्रथम सांख्यिकी दिवस सम्मेलन है। मैं भी इसमें होने वाली परिचर्चाओं का साक्षी बनने को उत्सुक हूं।

3. भारत में स्वर्गीय प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस की जयंती पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रो.महालनोबिस ने सन 1912 में भौतिकी आनर्स में स्नातक की उपाधि पाई थी और बाद में इनकी रुचि सांख्यिकी में हो गई। आधुनिक प्रबंधन की भाषा में कहें तो प्रोफेसर महालनोबिस 'लीक से हटकर' सोचनेवाले व्यक्ति थे। तात्कालिक महत्व की सांख्यिकीय समस्याओं का अध्ययन करने के दौरान ही उनका समस्त योगदान हमें प्राप्त हुआ। गवर्नर महोदय ने भी अपने उद्घाटन भाषण में जिक्र किया था कि प्रो. महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) की स्थापना की थी और वहाँ पर स्थित सर्वे प्रयोगशाला ही बाद में विकसित होकर आज के राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (राप्रसका) का रूप ले चुकी है। सांख्यिकीय विषयों पर आईएसआई और मापन विषयों पर राप्रसका के साथ समन्वय करके आर बी आई को बहुत लाभ पहुंचा है।

4. आज के इस सम्मेलन में बहुत से प्रतिष्ठित अतिथियों की मौजूदगी से हमें गौरव का अनुभव हो रहा है। हमारे प्रमुख वक्ता डॉ. मार्टिन डूरेन्ड इस समय ओईसीडी स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टोरेट में चीफ स्टेटिस्टीशियन और डायरेक्टर हैं तथा वैश्विक सांख्यिकीय विषयों पर अग्रणी व्याख्याता हैं। वे आज सुबह ही पेरिस से आई हैं। भारत और रिज़र्व बैंक में आपका हार्दिक स्वागत है, मार्टिन - नमस्ते।

5. मैं, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य और रिज़र्व बैंक अकादमी में नियमित रूप से अध्यापन कर रहे आईएसआई दिल्ली के प्रोफेसर चेतन घाटे का और विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन के प्रो.एन.बालकृष्ण का भी स्वागत करता हूँ, जो आज के हमारे विशिष्ट वक्ता हैं।

6. दोपहार बाद हमारे साथ प्रो.दिलीप नाचाने भी होंगे जो आईजीआईडीआर, मुंबई में प्रोफेसर एमीरेट्स हैं, और काफी समय तक मौद्रिक नीति पर रिज़र्व बैंक की तकनीकी सलाहाकार समिति तथा प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहाकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इस सम्मेलन के केंद्रीय विषय पर पैनल परिचर्चा की अध्यक्षता वही करेंगे। पैनल के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों- क्रिसिल के डॉ. डी.के. जोशी, एचएसबीसी की सुश्री प्रांजल भंडारी और सिटी बैंक के डॉ. समीरन चक्रवर्ती - का भी मैं स्वागत करता हूँ। सांख्यिकी दिवस के लिए अपना बहुमूल्य समय देने हेतु पैनल के सभी सदस्यों को धन्यवाद।

7. अब मैं आज के सम्मेलन के मुख्य विषय अर्थात 'केन्द्रीय बैंकों के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों और सूचना आधार से संबद्ध नवीन अध्ययन क्षेत्र' पर आता हूं। सांख्यिकीय तकनीकें आर्थिक विश्लेषणों का अभिन्न हिस्सा होती हैं। यह देखना अपने आप में बड़ा रोचक है कि आर्थिक विज्ञानों के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबल पुरस्कारों में बड़ी संख्या 'प्रविधि पुरस्कारों (मैथड अवार्ड्स)' की होती है जिससे इन तकनीकों के महत्व की पुष्टि होती है। अर्थशास्त्र में पहला नोबल पुरस्कार 1969 में रेग्नर फ्रिश्ख और जेन टिनबरजेन को अर्थमितीय मॉडल निर्माण विषयक उनके अनुसंधान कार्य के लिए दिया गया था जिसमें उन्होंने आर्थिक सिद्धान्त और सांख्यिकीय प्रविधियों का पारस्परिक संबंध स्थापित किया था। बाद के वर्षों में भी नोबल 'मैथड अवार्ड' कई कार्यों के लिए प्रदान किए गए जैसे- इनपुट आउटपुट प्रविधि, राष्ट्रीय बही खाते, व्यष्टि-

* 04 जुलाई 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक,केंद्रीय कार्यालय,मुंबई में आयोजित 11 वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन के मुख्य विषय पर डॉ.विरल वी.आचार्य,उप गवर्नर द्वारा दिया गया भाषण। डॉ.ओ.पी.मल्ल और श्री अनुजित मित्रा द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आभार।

अर्थमिति, समाकलन और एआरसीएच (राबर्ट एन्जल को जो मेरे सहकर्मी, सहलेखक और प्रिय मित्र रहे जब मैं न्यूयार्क यूनिवर्सिटि स्टर्न में था) के लिए।

8. आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकीय प्रविधियों की केन्द्रीय भूमिका इस बात से भी प्रकट होती है कि अर्थशास्त्र और वित्त के अध्ययनकर्ताओं के पाठ्यक्रम में इसका अंश निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विश्वव्यापी वित्तीय संकट और इसके कुपरिणामों के बाद उत्पन्न संरचनागत अंतराल यह दर्शाता है कि कौन से नए दृष्टिकोण और प्रविधियाँ अब स्थापित हो रही हैं। विगत दशक के दौरान समष्टि आर्थिक अनुमानकर्ताओं के सामने रोचक सवाल आए क्योंकि बैंकिंग और सरकारों के समक्ष संकटों की शुरुआत ने अनुमानों के उल्लंघन के बाद मूलभूत धारणाओं की तरफ मोड़ दिया है। इसने प्रविधिगत सुधारों की तरफ प्रयासों की जरुरत को दर्शाया है, केवल आर्थिक सिद्धान्त की परीक्षा हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों में भी सुधार जरूरी है। मेरे विचार से अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है।

9. सन 2009 में G-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में जी-20 डाटा गैप प्रयासों (डीजीआई) का समर्थन किया गया जो (क) वित्तीय क्षेत्र में जोखिम बढ़ते जाने; (ख) सीमा-पार के वित्तीय सम्पर्कों; (ग) घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की आघातसहनीयता में कमी आने, और (घ) आधिकारिक सांख्यिकी के संचरण को सुधारने - पर केंद्रित है। डीजीआई के प्रथम चरण के व्यापक कार्यान्वयन के बाद, सन 2015 में इसका दूसरा चरण इस प्रयोजन के साथ आरंभ किया गया कि विश्वव्यापी सांख्यिकीय प्रणालियों को मज़बूत बनाया जाए ताकि अधिक गहन आर्थिक विश्लेषण में सहायता मिल सके। इस दिशा में भारत की प्रगति अभी तक तो अच्छी रही है, और हम इस विश्वास के साथ आगे भी प्रयासरत हैं कि ऐसे प्रयासों से अलग-अलग देशों को तो फायदा मिलेगा ही, इनसे वैश्विक आर्थिक प्रणाली को भी मदद मिलेगी।

भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री हेतु अवस्थिति

10. अब मैं अपनी शेष चर्चा में उस विषय पर फोकस करूँगा, जो मेरी समझ में वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक को और खासतौर पर सांख्यिकी विभाग को और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यह लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) की स्थापना से संबंधित है जो कि भारत के लिए ऋण सूचना का व्यापक डाटाबेस होगा और जो सभी हितधारकों की पहुंच में होगा। आमतौर पर पीसीआर का प्रबंधन एक लोक प्राधिकरण जैसे कि केन्द्रीय बैंक अथवा बैंकिंग पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है और कर्जदारों एवं/ अथवा कर्जदाताओं द्वारा पीसीआर को कर्ज के विवरण प्रदान करना कानूनन अनिवार्य बनाया जाता है। अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में संविदाकारी शर्तें और शामिल परिणाम तथा एक निर्धारित सीमा से अधिक वाली संविदाओं की रिपोर्टिंग अलग-अलग हो सकती है, लेकिन धारणा यही है कि कर्जदारों से संबंधित डाटाबेस में सभी संबंधित जानकारी, खासतौर पर कर्जदारों की सभी कर्जदारी संविदाओं और परिणामों को हासिल कर लिया जाए।

11. यदि भारत में पीसीआर स्थापित कर दिया जाता है तो यह- (क) बैंकों द्वारा क्रेडिट आकलन और दर निर्धारण; (ख) बैंकों में जोखिम आधारित, गतिशील और प्रतिचक्रावर्ती प्रवधान; (ग) विनियामकों द्वारा पर्यवेक्षण और अग्रिम हस्तक्षेप ; (घ) यह समझना कि मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन प्रभावी है, और यदि नहीं तो अडचनें कहाँ हैं; और (ङ) दबावग्रस्त बैंक क्रेडिट की पुनर्संरचना कैसे की जाए - जैसे कार्यों में सहायक होगी। ऐसे मामलों पर स्पैनिश क्रेडिट रजिस्टर का प्रयोग करते हुए यूनिवर्सीस्टाट पॉम्प्यू फैब्रा (universitat pompeu fabra) के प्रोफेसर ज़ोज़े लुइस पैड्रा (Jose-Luis peydro) का व्यापक और मर्मभेदक अतिसूक्ष्म अध्ययन इसका प्रमाण है कि बुनियादी अर्थव्यवस्था को साफतौर पर समझने के लिए पीसीआर कितनी मूल्यवान हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप उनका शोध-कार्य अवश्य पढ़िए।

12. अब मैं उन चीजों पर बात करना चाहूंगा जहाँ से इस प्रकार का डाटाबेस तैयार करने की प्रेरणा मिली। अकादमीय साहित्य बहुतायत में क्रेडिट बाज़ारों में पारदर्शिता की वकालत करता है, और यह तर्क देता है कि इससे बाजार की कुशलता बढ़ती है और क्रेडिटर तथा कर्जदार दोनों को मदद मिलती है। इस क्रेडिट सूचना को "लोक हित" का नाम देने के कारणों में से एक यह भी है कि इसकी उपयोगिता बड़े पैमाने पर ऋण बाज़ार के लिए और आमतौर पर समाज के लिए है। क्रेडिट सूचना के लिए केन्द्रीय डाटाबेस की गैर मौजूदगी में ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों के बारे में सीमित जानकारी मिलती है, जो उनके सीमित लेनदेन अथवा अंत:क्रियाओं पर आधारित होती है और यह अधकचरे परिणामों की तरफ भी ले जा सकती है।

13. एक केन्द्रीय आगार, उदाहरण के लिए जो जमानतों के विवरण लेकर सत्यापित करती है, ऐसी संविदाओं का लेखन सक्षम करती है जो कर्जदार द्वारा जमानतों को अतिगिरवी रखे जाने से बचाती है। ऐसे आगार की गैर मौजूदगी में प्रतिभूति पर ऋणदाता अपने प्रथम अधिकार के बारे में विश्वस्त नहीं हो सकता और हो सकता है कि कर्ज पर ज्यादा लागत लगाए या जरूरत से ज्यादा प्रतिभूतियों के लिए कहे ताकि अन्य ऋणदाताओं द्वारा जमानत के कमजोर किए जाने से बचाव हो सके। अर्थशास्त्र में इसे "आकस्मिक मालियत" कहा जाता है - इस मामले में किसी एक कर्ज-संविदा का प्रभाव दूसरी कर्ज-संविदाओं के परिणामों और शर्तों पर पड़ता है। इसके अलावा, लोक ऋण रजिस्ट्री की गैर मौजूदगी में "भले" कर्जदार अपारदर्शी क्रेडिट बाजारों में स्वयं को दूसरों से अलग नहीं दिखा पाते हैं, ऐसे में जानकारी का एकाधिकार रखनेवाले वर्तमान ऋणदाता उनसे अधिक लगान वसूलते हैं। ऋणदाता भी नए ग्राहक तलाशने में ऐसे लोगों को भी पा जाते हैं जिनके कदाचार सभी ऋणदाताओं को ज्ञात नहीं है, फलस्वरूप समग्ररुप से क्रेडिट जोखिम सामने आ जाता है।

भारत ऋण सूचना की वर्तमान प्रणाली

14. अब हम अपने देश में ऋण सूचना की वर्तमान प्रणालियों की बात करते हैं। भारत में कार्यरत निजी क्रेडिट ब्यूरो का नियन्त्रण रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण आसूचना कम्पनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत किया जाता है और इनमें क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल), इक्वीफैक्स, एक्सपेरियन और सीआरआइएफ हाईमार्क नामक संस्थाएँ शामिल हैं। क्रेडिट स्कोर और संबद्ध रिपोर्ट तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए इनमें से प्रत्येक फोकस डाटा विश्लेषण पर रहता है। बैंकों द्वारा इन विश्लेषणों का प्रयोग क्रेडिट कार्ड जारी करने और (मुख्य रूप से खुदरा ऋणों) के निर्णय लेने में किया जाता है।

15. रिज़र्व बैंक द्वारा सेन्ट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) की स्थापना 2014-15 में की गई। अब स्थानेत्तर पर्यवेक्षण के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण डाटाबेस है। भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने बड़े कर्जदारों की रिपोर्टिंग यहां पर करते है; अर्थात् जिनमें 5 करोड़ भारतीय रुपये और इससे अधिक का समग्र निधि आधारित और गैर-निधि आधारित जोखिम है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-पोर्टफोलियो का लगभग साठ प्रतिशत और गैर-निष्पादक ऋणों का लगभग अस्सी प्रतिशत इसके दायरे में है। इसके लिए तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है, लेकिन भूलचूक की रिपोर्टिंग जब और जैसे आधार पर अलहदा फार्मेट में करनी होती है। सीआरआईएलसी का डिजाइन पूरी तरह से पर्यवेक्षण प्रयोजनों से किया गया है और इसका फोकस विभिन्न शीर्षों के तहत कर्जदाता (अलग-अलग और/अथवा समूह के तौर पर) की वजह से प्रतिष्ठानों द्वारा अनावरण की रिपोर्टिंग पर रहता है, जैसे किसी बड़े कर्जदार के लिए बैंक की अनावृत्ति; कर्जदार के चालू खाते में शेषराशि; बैंक के बट्टे खाते डाले जा चुके खाते; और अन्य के साथ-साथ असहयोगी कर्जदारों की पहचान करना। हालांकि सीआरआईएलसी में कर्जदारों के बारे में केवल सीमित विवरण ही लिए जाते हैं, जैसे कि उनका संबंध किस उद्योग से है और उनकी आंतरिक और बाह्य रेटिंग। सीआरआईएलसी के तहत जुटाई गई जानकारी रिपोर्टिंग करने वाले बैंकों को तो दी जाती है लेकिन सी बी, बृहद ऋणदाता समुदाय अथवा शोधकर्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जाती है।

16. डीएसआईएम में कार्यरत मेरे सहकर्मी बेसिक सांख्यिकीय विवरणी-1 अथवा बीएसआर1 से परिचित हैं। इसमें बैंकों द्वारा खाता स्तरीय क्रेडिट जानकारी (किसी खास कर्ज अथवा बैंक और कर्जदार के बीच सुविधा को "खाता" कहा गया है) की रिपोर्ट दी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह एक सांख्यिकीय विवरणी है जो खाते के लिए कुछ मेटाडाटा संकलित करती है, जैसे कि निधियों के उपयोग स्थान के जिले और जनसंख्या समूह; खाते का प्रकार जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, सावधि कर्ज, क्रेडिट कार्ड इत्यादि; संस्था का प्रकार जैसे कि निजी निगमित क्षेत्र, हाऊसहोल्ड क्षेत्र, सूक्ष्म वित्त संस्थान, गृहस्थ-सेवार्थ गैर-लाभ अर्जक संस्थाएँ और अनिवासी; तथा व्यवसाय प्रकार जैसे कि कृषि, विनिर्माण, भवन-निर्माण और विभिन्न वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सेवाएँ। इसी के साथ परिवर्तनशील बनाम निश्चित दर पर ली जाने वाली ब्याज दरें भी बताई जाती हैं। ये विवरण सीआरआईएलसी में नहीं होते, जो कर्जदार-स्तरीय डाटा सेट है न कि खाता-स्तरीय डाटासेट? यद्यपि बीएसआर1 में प्रत्येक खाते की "सेहत का कोड" भी रहता है, लेकिन यह इतना संपूर्ण नहीं होता जो पर्यवेक्षी जरूरतों को पूरा करे क्योंकि सभी रिपोर्टिंग बैंकों के लिए

विशिष्ट पहचानकर्ता की गैरमौजूदगी में एक कर्जदार द्वारा चलाये जा रहे सभी खातों को समेकित करना व्यावहारिक नहीं हो पाता है। बहुत से कारण हैं, जिससे बीएसआर1 में भूल-चूक के बैंक-स्तरीय संकलन भी सीआरआईएलसी के माध्यम से सूचित तथ्यों में सामान्य रूप से मेल नहीं रहेगा। स्पेशियल, टेम्पोरल और सेक्टोरल वितरण सहित बीएसआर1 से जो समग्र सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त होती है वह शोधकर्ताओं, विश्लेषकों और व्याख्याताओं के लिए सार्वजनिक मंच पर दी जाती है। हालांकि खाता-स्तरीय डाटा को गुप्त रखा जाता है लेकिन समुचित सुरक्षा रखते हुए रिज़र्व बैंक यह डाटा भी मामला-दर-मामला आधार पर शोधकर्ताओं को प्रदान करता है।

17. रिज़र्व बैंक में रखा गया यह डाटाबेस अलग-अलग बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल नहीएं मिल पाता है, जिससे वे सूक्ष्म स्तर पर क्रेडिट निर्णय ले सकें। वे संस्था स्तर पर क्रेडिट डाटा को पूरी तरह से समेकित नहीं करते हैं। सटीक तौर पर कहे तो जितनी भी प्रणालियों का जिक्र हुआ है उनमें ऋणदाता को 360 डिग्री पहुंच नहीं मिल पाती। एकाकी तौर पर देखें तो इनमें से कुछ प्रणालियों को कुछ अतिरिक्त फील्ड जोड़कर आसानी से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बीएसआर1 में खाता-धारक का निर्धारण करने के लिए और कार्पोरेट अभिनिर्धारक संख्या (सीआइएन) का प्रयोग कम्पनियों के मामले में प्रत्येक कर्जदार के सभी खातों को देखना सम्भव हो सकेगा।

18. अब मैं आपका ध्यान रिज़र्व बैंक में और निगम कार्य मंत्रालय में उपलब्ध कम्पनी-वित्त-डाटाबेस की तरफ दिलाना चाहूँगा। इसमें कार्पोरेट द्वारा विभिन्न अंतरालों पर प्रस्तुत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संकलन किया जाता है। यहाँ भी महत्वपूर्ण अभिनिर्धारक सीआइएन ही है। यदि हम बीएसआर1 और सीआरआईएलसी में संवाद स्थापित कर सकें और कार्पोरेट क्षेत्र के वित्तीय परिणामों वाले एमसीए डाटाबेस के साथ दोनों को जोड सकें तो सूचना की शक्ति काफी बढ़ाई जा सकती है।

लोक ऋण रजिस्टरों के बारे में अंतरराष्ट्रीय अनुभव

19. अब मैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ आता हूँ। विश्व बैंक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सन 2012 की स्थिति के अनुसार सर्वेक्षित 195 देशों में से 87 देशों में लोक ऋण रजिस्टर (पीसीआर) विद्यमान थे- और अब तक तो यह संख्या अवश्य बढ़ गई होगी। बहुत से विकसित देशों में निजी क्रेडिट ब्यूरो भी अच्छा काम कर रहे हैं और वे पीसीआर के साथ सह-अस्तित्व बनाए हुए हैं। यूएस में थॉमसन रियूटर्स द्वारा संचालित डीलस्कैन उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें सिन्डीकेटेड लोन ऑरिजिनेशन डाटा को दायरे में लाया गया है जिसमें व्यवस्थाकर्ताओं; कीमत और परिपक्वता शर्तों; क्रेडिट लाइंस अथवा सावधि ऋणों और कर्ज की विशेषताओं जैसे कि कोवनैंट्स के बारे में भी जानकारी होती है। चूंकि ऋण देते समय ही बैंक स्वेच्छा से क्रेडिट डाटा प्रदान करते हैं, यह एक प्रकार से तत्काल उपलब्ध होने वाला डाटाबेस है और एक सप्ताह अथवा दो सप्ताह के भीतर ही किसी को भी यह जानकारी मिल जाती है कि क्या क्रेडिट-बाजार की स्थितियों में कोई बदलाव हुआ है।

20. डून एन्ड ब्रेडस्ट्रीट या संक्षेप में कहें तो डीएनबी लगभग दो शताब्दी पुराना है, और शायद विश्व में सबसे पुराना वाणिज्यिक डाटाबेस इसके पास है। उनकी वेबसाइट का दावा है कि वे 265 मिलियन कम्पनी रिकार्ड को ट्रैक करते हैं, यह रिकार्ड वे 30, 000 डाटा स्रोतों से हासिल करते हैं और इसे प्रतिदिन 50 लाख बार अपडेट किया जाता है। डीएनबी के अपने संवाददाता डाटा जुटाने के लिए फर्मों के प्रधानों को टेलिफोन करते हैं और स्वयं भी जाते हैं। यह जानना रोचक रहेगा कि 19 वीं शती में ये संवाददाता अक्सर वकील हुआ करते थे जिनमें अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन और कोल्विन कोलिज जैसे प्रख्यात लोग भी थे(संदर्भ जे.जी. कॉलबर्ग, जी.एफ.उडेल/ जर्नल ऑफ बैंकिंग एन्ड फिनान्स 27(2003)449-469)।

21. ऐसी सूचना प्रणाली की उपयोगिता को बताने के लिए अब मैं एक जीवंत उदाहरण देता हूँ। सितम्बर 2008 में लेहमेन ब्रदर्स के धराशायी होने के बाद ऐसे अर्थशास्त्री थे जो यह मानते थे कि संयुक्त राज्यों में क्रेडिट का प्रवाह अप्रभावित रहा क्योंकि बैंक-ऋणों में प्रबल क्रेडिट संवृद्धि रही। लेकिन थामसन रियूटर के डीलस्कैन डाटा के गहरे विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि यह क्रेडिट संवृद्धि पूरी तरह से विद्यमान क्रेडिट लाइन का सहारा लेते हुए कार्पोरेटों द्वारा निकासी (एक प्रकार का बैंक-धाव) के कारण हुई। नए कर्जों की व्युत्पत्ति तो वस्तुत: उड़न छू हो गयी थी।

भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री किस प्रकार मदद कर सकती है

22. अब हम यह कल्पना करते हैं कि भारतीय परिस्थितियों में लोक ऋण रजिस्ट्री कितनी मददगार साबित होगी। सबसे पहले तो यह कि हमारे देश में क्रेडिट संस्कृति को सुधारने के लिए यह अपेक्षित है। "डूइंग बिजनेस 2017" की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि क्रेडिट सूचना प्रणालियाँ क्रेडिट बाजार में पारदर्शिता लाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्रेडिट तक पहुँच में सुधार होता है और आर्थिक कदाचार कम हो जाते हैं। वर्तमान में बहुत से भारतीय बैंक एनपीए के बोझ तले दबे होने के कारण विश्वासपूर्वक क्रेडिट-निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पारदर्शी लोक ऋण रजिस्ट्री से बैंकर्स को वस्तुनिष्ठ डाटा पर निर्भर रहते हुए क्रेडिट निर्णय लेने में मदद मिलेगी और संवीक्षा के दौरान वे बाजार का साक्ष्य देते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव करने में सक्षम रहेंगे।

23. दूसरी बात यह कि क्रेडिट बाजार में बड़े कर्जदारों को सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान उनकी साख के कारण प्राथमिकता मिलती है। वे क्रेडिट हिस्ट्री, ब्रान्ड वैल्यू और जमानत प्रस्तुत करने के मामलों में अच्छी साख स्थापित कर चुके हैं। इसके विपरीत छोटे और सीमांत उद्यमी, स्टार्ट अप, नए उद्यमी और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र में छोटे कारोबारियों की स्थिति इस मामले में उतनी अनुकूल नहीं होती क्योंकि क्रेडिट के लिए निर्धारित कई शर्तें वे पूरी नहीं कर पाते। पारदर्शी क्रेडिट सूचना इन कर्जदारों के लिए "प्रतिष्ठागत जमानत" का काम करेगी। यह न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि भले-कर्जदारों को लाभान्वित भी करेगा जिससे क्रेडिट अनुशासन सृजित होगा। हम ईबे पर लेनदेन करने में अपनी तत्परता को देखें तो समझ जाएंगे कि वेबसाइट पर दिए गए अज्ञात विक्रेताओं के सौदों के रिकार्ड से ही किस तरह उनकी कारोबारी हैसियत बन जाती है। इस प्रकार यह लोक ऋण रजिस्ट्री विभिन्न हैसियत वाले कर्जदारों के लिए एक समान कारोबारी अवसर प्रदान करेगी।

24. तीसरी बात यह कि बहुत से देशों में लोक ऋण रजिस्ट्री की भूमिका कर्जदारों और विभिन्न संस्थानों के बीच क्रेडिट-सम्बन्ध से भी आगे निकल चुकी है। वे खुदरा ग्राहकों के सबंध में बिज़ली और फोन जैसी सुविधाओं हेतु भुगतानों और कारोबारियों के लिए व्यापारिक क्रेडिट डाटा सहित कर्जदारों के अन्य लेनदेन के आंकड़े भी जुटाते हैं। ऐसे डाटा क्या मदद करते हैं? औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता क्रेडिट स्कोर नहीं होने के कारण नए ग्राहकों को लाइन क्रेडिट सुविधा प्रदान करने में बहुधा संकोच करते हैं। उपभोक्ता सेवाओं और व्यापारिक उधारदाताओं को भुगतान करने में नियमितता से ऐसे ग्राहकों की साख की कोटि का पता चल जाता है। बदले में औपचारिक क्षेत्र से नए कर्जदारों को भी क्रेडिट मिल जाता है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इससे लगे हाथ नीति निर्माताओं को यह लाभ मिलता है कि वे वित्तीय समावेशन के दायरे को और अधिक बारीकी से भाँप सकते हैं।

25. अंतिम बात यह कि विनियामकीय प्रयोजनों के लिए लोक ऋण रजिस्ट्री का प्रगाढ़ प्रभाव पड़ता है। इसकी गैर-मौजूदगी में क्रेडिट व्यवहार और ऋणग्रस्तता की केवल खंडित छवि प्राप्त करने में मदद करेगा जो पर्यवेक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है ताकि वे समस्त प्रणाली के क्रेडिट जोखिम का आकलन कर सकें। इसमें सुविधा के लिए पीसीआर वह सम्पूर्ण छवि प्राप्त करने में मदद करेगा जो पर्यवेक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है ताकि वे समस्त प्रणाली के क्रेडिट जोखिम का आकलन कर सकें। इसमें सुविधा के लिए पीसीआर को क्रेडिट डाटा के निम्नलिखित पहलुओं को अवश्य देखना होगा-प्रथम यह कि कर्जदार की आर्थिक और वित्तीय सेहत के बारे में डाटा के साथ-साथ शुरुआत के समय कर्ज की शर्तों का विवरण देते हुए बैंक कर्जदार के कर्जस्तरीय डाटा; द्वितीय यह कि आंतरिक और बाह्य रेटिंग (अथवा क्रेडिट स्कोर) और उनका क्रमागत विकास और जहाँ भी अनुमेय हो फर्मस्तरीय और क्षेत्र-स्तरीय क्रेडिट जोखिम हेतु बाजार-आधारित उपाय; तृतीय यह किस भी विवरणों सहित बैंक - कर्जदार कर्ज-स्तरीय पुनर्संरचना डाटा; चतुर्थ यह कि द्वितीयक कर्ज- विक्रय और कीमत सूचना; पंचम यह कि कर्जदार-देनदारी स्तरीय चूक और वसूली आंकड़े। यह एक अच्छी शुरुआत होगी।

लोक ऋण रजिस्ट्री का संचालन कौन करेगा?

26. बहुत से देशों में बड़े लोक ऋण रजिस्टरों का संचालन केन्द्रीय बैंकों या फिर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। इनका संचालन अमूमन निजी क्षेत्र द्वारा नहीं किया जाता है, तथापि कुछ अधिकारक्षेत्रों में हमने जिन मदों पर चर्चा की है, उनमें से बहुत सी मदों का समेकन सीबी में किया जाता है। कुछ अधिकार क्षेत्रों में केन्द्रीय पीसीआर द्वारा संकलित अपरिष्कृत डाटा सीबी को दिया जाता है जो अन्य स्रोतों से प्राप्त डाटा को सम्मिलित करके इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए अन्य विश्लेषण जैसे कि क्रेडिट स्कोर/ग्राहकों

अमूमन वाणिज्यिक उधारदाताओं को रिपोर्ट प्रदान करते हैं। क्योंकि हम ऐसे बड़े डाटाबेस की बात कर रहे हैं जिसमें काफी कूछ निजी सूचना होती हैं, इसलिए इसका रखरखाव ऐसे प्राधिकरण द्वारा करने की जरूरत है जो जनता की नजरों में विश्वसनीय हो और जिसके पास कानूनी शक्तियाँ भी हों ताकि सामयिक और समग्र डाटा संकलन सुनिश्चित हो सके। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही देखा गया है कि केवल कुछ अपवादों को छोड़ दें तो प्राय: पीसीआर का संचालन केन्द्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

सारांश

27. मैं अपनी बात के अंत में फिर से यही कहूँगा कि भारत के लिए पारदर्शी और सम्यक लोक ऋण रजिस्टर का होना समय की मांग है। अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में क्रेडिट संस्कृति को सुधारने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा देश इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे रजिस्टर क्रेडिट बाजार कि कुशलता बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, कारोबार में सहूलियत लाने और कारोबारी कदाचार पर नियंत्रण रखने में सहायक हैं। कर्जदारों के लिए विशिष्ट अभिनिर्धारकों (व्यक्तियों के लिए आधार तथा कम्पनियों के लिए सीआइएन) का प्रयोग करके रिज़र्व बैंक बीएसआर1 और सीआरआईएलसी डाटा सेटों को शीघ्रता से पीसीआर में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें शुरुआती तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहकों को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भारत की अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। समय के साथ पीसीआर में और भी समग्रता आएगी और यह क्रमश: अधिक प्रभावी होती जाएगी।

28. समग्र पीसीआर स्थापित करने के लिए हालांकि बहुत ज्यादा टीमवर्क और विज़न की जरूरत होगी। विभिन्न स्रोतों से जुटाए गए विभिन्न प्रकार के डाटा की भारी मात्रा का रखरखाव करने के लिए विशेषज्ञता की जरूरत पडेगी। ऐसे रजिस्टरों की स्थापना के लिए विभिन्न लाभार्थी, अन्य विनियामक और विशेषज्ञता रखने वाली अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ मिलकर काम करना अपेक्षित होगा। यहां 11 वे सांख्यिकी दिवस के अवसर पर एकत्र हुए सांख्यिकी विदों के लिए यह बहुत अच्छी चुनौती होगी। गवर्नर महोदय को और मुझे यह आशा है कि हम एक उच्च स्तरीय कार्यबल स्थापित करने में सफल होंगे जो हमारे देश के लिए शक्तिशाली क्रेडिट सूचना प्रणाली विकसित करेगा और उसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

29. इस टीम के समक्ष एक अति विस्तृत फलक पर 'सूचना आधार' जुटाने की चुनौती होगी जिसमें कुछेक को इस प्रकार गिनाया जा सकता है- रोजगार सांख्यिकी; ग्रामीण और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हाउसहोल्ड स्फीति अनुमान सर्वेक्षण; कीमतों और उपभोग के बिग डाटा तत्काल संकेतक; आर्थिक गतिविधि संकेतकों के लिए गूगल इमेजेज़ और मोबाइल फोन डाटा। यदि हम इनमें से कुछ तक भी अपनी पहुंच बना सके तो यह प्रोफ़ेसर महालनोबिस के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, जिनका योगदान सार्वकालिक है और जिसके लिए वे मरणोपरांत भी हमेशा याद किए जाएंगे।